okf'ke ftyk ekgs'ojh laxBu
¼vrxZr fonHkZ izknsf'kd ekgs'ojh laxBu½

1. uke& इस संस्था का नाम वाशिम जिला माहेष्वरी संगठन होगा।

2. dk;{ks=&

इस संस्था का कार्यक्षेत्र अ. भा. माहेश्वरी महासभा द्वारा निर्देशित विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महासभा के अंतर्गत निर्धारित राजस्व वाशिम जिला का क्षेत्र होगा । निम्नलिखित राजस्व तहसील इसका कार्यक्षेत्र होगी।

1 वाशिम 2 मालेगावं 3 मंगरूलपीर 4 कारंजा 5 रिसोड़ 6 मानोरा

भविष्य में राजस्व जिले एवं तहसील में सरकारी अध्यादेश के अनुसार कोई परिवर्तन किया गया तो उसी तिथीसे वह इस विधान में परिवर्तित मान लिया जायेगा।

3- mn~ns'; –

जिला माहेश्वरी संगठन अ. भा. माहेश्वरी महासभा द्वारा निर्धारित प्रदेश सभा का अंग होने के कारण प्रदेश सभा के उद्धेश्य ही जिला संगठनके उद्धेश्य होंगे। समस्त वाशिम जिला वासियों की उन्नती एवं प्रगति के व्यापक दृष्टिकोण के साथ माहेश्वरी समाज के समयानुसार सर्वांगीण उन्नति करना जिससे माहेश्वरी समाज राष्ट्र का प्रगतिशील घटक बना रहे । माहेश्वरी समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यातमिक, नैतिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक व आर्थिक उन्नति के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना। इन कार्यों के लिए आवश्यक संगठन या न्यास आदि स्थापित करना।अपनी मूलभूत संस्कृति व संस्कारों को कायम रखते हुए परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार समाज को तैयार करना । उपरोक्त उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु विधि सम्मत कार्य करना तथा इनकी पूर्ति हेतु निम्नलिखित एवं इनसे समबन्धित समयोचित कार्य करनाः

1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, नैतिक व्यावसायिक, शैक्षणिक, शारीरिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना। ऐसे कार्यो को साध्य करने के लिए आवश्यक संस्थाओं से सहयोग करना, पत्र– पत्रिकाएँ, एवं प्रचार साहित्य का प्रकाशन एवं वितरण करना तथा वैचारिक क्रान्ति द्वारा जागरूक समाज के अनुरूप वातावरण निर्मित करना।
2. रोजगार, व्यवसाय आदि के इच्छुक व्यक्तियों को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना। इस हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रदर्शनी, सेमिनार आदि का आयोजन करना। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से व्यावसायिक अवसर व आवासीय सुविधाएँ बढ़ाना।
3. समाज के अभावग्रस्त लोगों की सहायता करना, छात्रवृत्ति देना एवं दिलाने की व्यवस्था करना।
4. समाज के असहाय बेरोजगार, अपंग, अस्वस्थ, निराश्रितों एवं जरूरतमंद बच्चों, महिलाओं एवं पुरूषों को सहायता करना व सहयोग देना।
5. अ. भा. माहेश्वरी महासभा एंव प्रदेश सभा की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सम्पन्न करने में सहयोग करना एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करके स्वस्थ परम्पराओं के विकास का प्रयास करना।
6. अ. भा. माहेश्वरी महासभा तथा प्रदेश सभा द्वारा स्थापित और संचालित संस्थाओं का लाभ माहेश्वरी समाज के साथ ही यथा सम्भव अन्य समाजों को भी देना।
7. महासभा एवम् प्रादेशिक सभा के उद्धेश्यों को अग्रसर करने के लिए सभा, सम्मेलन, अधिवेशन, गोष्ठियाँ, शिविर, वादविवाद, सांस्कृतिक समारोह,प्रदर्शनी, खेलकूद, व्यायाम, योग, चलचित्र, नाटक आदि विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना अथवा करवाना बालकों तथा वयस्कों को सुसंस्कारित करने हेतु संस्कार शिविर वर्ग तथा व्यक्तित्व विकास हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना।
8. निर्धारित कार्यो एवं योजनाओं के लिए धनसंग्रह करना। उसका विनियोग करना। चल अथवा अचल सम्पत्ति प्राप्त अथवा धारण करना। इन कार्यो के लिए आवश्यक संगठन अथवा न्यास आदि स्थापित करना, स्म्पत्ति सम्बन्धी क्रय, विक्रय ऋण बंधक लीज आदि के अधिकर ग्रहण करना।
9. अन्य ऐसे काग्र करना जिससे समाज की उन्नति सम्भव हो।

4- ifjHkk"kk,¡ –इस विधान में उल्लेखित विशिष्ट शब्दों का अर्थ निम्नानुसार समझा जायेगा :–

1. महासभा शब्द से तात्पर्य अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा से है।
2. माहेश्वरी शब्द से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो स्वंय को माहेश्वरी कहते है। और जिन्हें समाज माहेश्वरी मानता है तथा जिनकी खॉप माहेश्वरी जाति की खॉपों में से है।
3. परिवार से आशय है– परिवार – व्यक्तियों के उस समूह से है जिनकी भोजन व्यवस्था एक ही रसोई घर (किचन) से संचलित है।
4. समाज या सामाजिक शब्द से आशय माहेश्वरी समाज से है।

5. प्रदेश सभा से तात्पर्य विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी संगठन से है।
6. जिला सभा, आंचलिक सभा, तहसील संगठन , ग्राम सभा, नगर सभा, क्षेत्रीय सभा आदि शब्दों का अर्थ निर्धारित क्षेत्रों की माहेश्वरी संगठनो से है।
7. कार्यकारी मण्डल का अर्थ जिला संगठनके कार्यकारी मण्डल से है।
8. कार्यसमिति / प्रबन्धसमिति का अर्थ जिला संगठनकी प्रबन्धकारिणी या कार्यसमिति से है।
9. प्रादेशिक ट्रस्ट का अर्थ विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी संघठन द्वारा स्थापित ट्रस्ट से है।
10. जिला कोष का अर्थ जिला संगठनद्वारा स्थापित ट्रस्ट या कोष से है।
11. प्रथम स्तरीय कार्यकारी मण्डल श्रृंखलाबद्ध संगठन में सबसे पहली कड़ी ग्राम की होती है। ग्राम, नगर आदि मिल कर तहसील संगठन का गठन करते है। तहसील संगठन प्रथम स्तरीय कार्यकारी मण्डल है। तहसील संगठन की कार्यकारी मण्डल के गठन की पद्धति परिशिष्ठ ''ब'' में दी गई है।

5- <u>dk;ky; &</u>

जिला संगठन कार्यसमिति के निश्चयानुसार स्थान पर जिला संगठन का कार्यालय होगा। आवश्यकता हो तो जिला संगठनकार्यकारी मण्डल स्थायी कार्यालय का निर्माण कर सकेगा एवं वहां की व्यवस्था सम्बन्धी योजना बनायेगा।

6- <u>ftyk laxBu ds vo;o&</u>

ग्राम सभा, नगर सभा, तहसील संगठन तथा जिला संगठन द्वारा स्थापित ट्रस्ट अथवा कोष

7- <u>ftyk laxBu dk xBu&</u>

जिला संगठन कार्यकारी मण्डल का गठन निम्न प्रकार के सदस्यों द्वारा होगा।

1) चयनित सदस्य 2) पदेन सदस्य तथा 3) मनोनीत सदस्य

1½ p;fur lnL;&

क) जिले में 101 सदस्यों का कार्यकारी मंडल होगा। तहसील अनुसार इनकी संख्या निमनानुसार होगी।
वाशिम–35, मालेगावं–25, मंगरूलपीर–16, कारंजा–12, रिसोड़–7 तथा मानोरा–6

ख) जिला कार्यकारी मंडल के लिए चुने जाने वाले सदस्य 30 वर्ष से कम उम्र के नही होंगे।

2½ inu lnL; &

ftyk {ks= esa fuokl djus okys fuEu egkuHkko ftyk dk;Zdkjh e.My ds inu lnL; gksaxs&

1. अ. भा. माहेश्वरी महासभा के पदाधिकरी, कार्यसमिति तथा महासभा कार्यकारी मंडल के सदस्य।
2. अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा, महिला संगठन एवं युवा संगठन के निवर्तमान एवं भूतपुर्व अध्यक्ष एंव महामंत्री
3. श्रीकृष्णदास जाजू स्मारक ट्रस्ट के वर्तमान ट्रस्टी अथवा प्रदेश के संयोजक
4. प्रादेशिक ट्रस्ट के ट्रस्टीगण (प्रबन्धकारिणी के सदस्य)
5. प्रदेश संगठन के पदाधिकारी तथा प्रदेश सभा कार्यसमिति के सदस्य
6. अखिल भारतवर्षीय तथा प्रादेशिक महिला एवं युवा संगठन के जिले मे निवास करने वाले वर्तमान पदाधिकारी
7. श्री आदित्य विक्रम बिड़ला मेमोरियल व्यापार सहयोग केन्द्र एवं श्री रामगोपाल माहेश्वरी स्मृति शिक्षा केन्द्र की प्रबन्ध समिति के सदस्य
8. अ. भा. माहेश्वरी महासभा द्वारा स्थापित अन्य ट्रस्टो के ट्रस्टी
9. जिला ट्रस्ट के ट्रस्टीगण(जिला ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी अथवा न्यासी मण्डल के पदाधिकारी एवम् सदस्यगण)
10. तहसील अथवा समकक्ष संगठनो के अध्यक्ष एवं मन्त्री
11. जिला महिला एवं युवा संगठन के अध्यक्ष एवं मन्त्री

3½ eukuhr lnL;&जिलाध्यक्ष जिले के कार्यकारी मण्डल में पाँच सदस्य मनोनीत कर सकेंगे।

8- 1½ <u>ftyk laxBu dk;Zdkjh e.My ds xBu dk vk/kkj &</u>

अ) एक तहसील में सदस्य परिवारों की संख्या 40 प्रतिशत से अधिक होने पर भी वहाँ कार्यकारी मंडल में सीटों का आवंटन 30–40 प्रतिशत से अधिक नही होगा।

आ) प्रत्येक परिवार को एक इकाई माना गया है इसलिए सदस्यता एक परिवार में एक व्यक्ति को ही दी जायेगी। यदि परिवार की कोई महिला वर्षो से मुख्य संगठन में सक्रिय रूप से जुडी हुई है तो उस महिला को भी विशेष परिस्थिति में स्थानीय सभा का सदस्य बनाया जा सकेगा।

इ) तहसील संगठन/नगर सभा को भी अपनी सभा का विधान जिला संगठनके दिशा निर्देश में जिला संगठनके विधान की भावना को ध्यान में रख कर बनाना आवश्यक होगा एवं उसे जिला संगठन से अनुमोदित कराना होगा। विधान अनुमोदित नहीं होने तक जिला संगठनके विधानानुसार ही कार्य/चुनाव होंगे।

ई) जिला संगठन अगर स्वंय को पंजीकृत करा लेती है तो भी महासभा द्वारा समयानुसार मॉडल विधान में किये गये संशोधन पंजीकृत जिला संगठनों के विधान में स्वतः ही मान्य होंगे।

उ) गठन के लिए अन्य नियम एवं उपनियम संलग्न परिशिष्ठ '' अ'' के अनुसार होंगे।

9- ftyk dk;dkjh e.My d nkf;Ro ,o vf/kdkj&

1) संगठन के उद्धेश्यों को पूरा करने एवं महासभा तथा प्रदेश संगठन द्वारा निर्देशित तथा जिला संगठन में पारित प्रस्तावों के कियान्वयन का दायित्व जिला कार्यकारी मण्डल का होगा।
2) जिला संगठन कार्यसमिति के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार जिला संगठन कार्यकारी मण्डल का होगा। उपरोक्त चुनाव हेतु चुनाव अधिकारी की नियुक्ति जिला कार्यसमिति करेगी।
3) जिला कार्यकारी मण्डल जिले के तहसील, नगर अथवा ग्राम संगठन आदि जैसी भी स्थिति हो को जिला कार्यकारी मंडल में उनकी सदस्य संख्या के अनुपात में कार्यसमिति की सीटे आवंटित कर सकेगा।
4) कार्यकारी मण्डल के सदस्यों को कार्यसमिति द्वारा निर्धारित शुल्क देना होगा।
5) कार्यकारी मण्डल के जो सदस्य बिना सूचना दिये लगातार कार्यकारी मण्डल की तीन बैठकों में अनुपस्थित रहेंगे, उनका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकेगा।
6) जिला संगठन की नीति एवं प्रस्तावों का पालन करने का दायित्व प्रत्येक सदस्य का होगा।
7) जिला संगठन के विधान में संशोधन, परिवर्तन परिवर्द्धन (आगे दिये प्रावधानों के अनुसार करने का अधिकार जिला कार्यकारी मण्डल को होगा)।

10 dk;dkjh e.My dh cBd &

d½ lk/kkj.k cBd& कार्यकारी मण्डल की साधारण बैठक चुनावी बैठक के अलावा वर्ष में कम से कम दो बार होगी। दो बैठकों के बीच का अन्तराल 8 माह से अधिक का नहीं होगा। प्रत्येक वर्ष समाप्ति के 3 माह बाद की बैठक में जिला संगठनका हिसाब प्रस्तुत किया जायेगा तथा आवश्यक विषयों पर विचार विनिमय एवं निर्णय किया जायेगा।

[k½ fo'ks"k cBd &

आवश्यकतानुसार जिला संगठनके अध्यक्ष एवं मन्त्री आपसी परामर्श करके कार्यकारी मण्डल की विशेष बैठक का आयोजन कर सकेंगे।

x½ vf/k;kfpr cBd &

कार्यकारी मण्डल के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य अथवा 30 सदस्य किसी विशेष कार्य के लिए अधियाचित बैठक बुलाने के लिए लिखित आवेदन जिला संगठनके मन्त्री अथवा अध्यक्ष को कर सकते है। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर एक माह के अन्दर बैठक का आयोजन करना आवश्यक माना जायेगा। यदि एक माह में बैठक नहीं बुलाई जाती है तो नियमानुसार एजेण्डा भेजकर आवेदको में से पाँच सदस्य अगले 15 दिन मे बैठक बुला सकेगें। इस बैठक का एजेण्डा प्रमाणित डाक से भेजना आवश्यक होगा। इस बैठक में एजेण्डा में उल्लेखित विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर निर्णय नहीं लिये जा सकेगें । इस बैठक की अध्यक्षता जिला कार्यसमिति के किसी पदाधिकारी या वरिष्ठ सदस्य द्वारा की जावेगी तथा कोरम पूर्ति के अभाव में बैठक निरस्त मानी जायेगी।

11 d½ dk;lfefr dk xBu &

जिला संगठन के कार्य को सुगमता से चलाने के लिए जिला कार्यकारी मंडल के सदस्यों द्वारा कार्यकारी मण्डल सदस्यों में से कार्यसमिति का गठन किया जायेगा। पदाधिकारियों सहित कार्यसमिती के चयनित/ निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिमतम 26 होगी। इसका गठन निम्नप्रकार से होगा।

अ) धारा 12 क) के अनुसार 8 पदाधिकारी होंगे तथा 18 कार्यसमिति सदस्य होगे।

आ) पदेन सदस्य –उपरोक्त धारा 11 (क) में वर्णित सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य जिला कार्यसकमति के पदेन सदस्य होंगे।

1. अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के जिले में निवास करने वाले पदाधिकारी एवं कार्यसमिति के सदस्य
2. अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा मे जिले में निवास करने वाले निवर्तमान एवं पूर्व सभापति तथा महामंत्री
3. प्रदेश सभा के जिले मे निवास करने वाले पदाधिकारी
4. तहसील संगठनो के अध्यक्ष एवमं मन्त्री
5. जिला संगठन के निवर्तमान अध्यक्ष एवं मंत्री

b½ eukuhr lnL;& जिला अध्यक्ष को कार्यकारी मंडल पर 5 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होगा।

[k½ dk;Zlfefr ds nkf;Ro ,oa vf/kdkj

1) जिला संगठन के कार्यों को सुगमता से चलाने तथा उद्धेश्यों को अग्रसर करने हेतु विभिन्न समितियों, उपसमितियों तथा प्रकोष्ठों का गठन करना, विभिन्न प्रयोजनार्थ नियम एवं उपनियम बनाना, चुनाव समबन्धी नियम बनाना, चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करना तथा चुनाव कार्यक्रम बनाना।
2) तहसील संगठनो तथा ग्राम/नगर संगठनो का विधान अनुमोदित करना तथा तहसील संगठनो को सम्बद्धता प्रदान करने हेतु सम्बद्धता शुल्क निर्धारित करना, नियम बनाना एवं सम्बद्धता प्रमाण पत्र प्रदान करना।
3) जिला संगठन की सत्र एवं वर्ष वार योजना एवं कार्यक्रमों को स्वीकार करना, उसके लिए बजट स्विकार करना तथा कार्यक्रम एवं योजना क्रियान्विति का सतत् मूल्यांकन करना।
4) कार्यकारी मण्डल सदस्यों, कार्यसमिती सदस्यों तथा पदाधिकारियों का सत्र शुल्क निर्धारण करना।
5) प्रदेश सभा कार्यकारी मण्डल एवं महासभा कार्यकारी मण्डल हेतु निर्धारित संख्या में सदस्यों का चयन सवसम्मति से करना। सर्वसम्मति के अभाव में जिला कार्यकारी मण्डल द्वारा सदस्यों का चयन करना।
6) विभिन्न माध्यमों से जिला संगठन हेतु वित्त पूर्ति करना।
7) जिला कार्यकारी मण्डल के प्रति पूर्ण उत्तरदायी रहना।
8) महासभा एवं प्रादेशिक संगठन से प्राप्त निर्देशों कार्यक्रमों एवं योजनाओ को पूरा करना।
9) जिला संगठन के सत्र मध्य रिक्त हुए अध्यक्ष के अलावा अन्य पदों तथा कार्यसमिति सदस्यों के स्थानों को शेष अवधि के लिए भरना।
10) स्थानीय संगठन के सदस्यों का सदस्यता शुल्क निर्धारित करना तथा तहसील संगठन कार्यकारी मण्डल सदस्यों एवं तहसील कार्यसमिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का सत्र शुल्क निर्धारित करना।
11) कार्यसमिति की तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर सदस्य की पदधारिता /सदस्यता कार्यसमिति से समाप्त की जा सकेगी।
12) तहसील कार्यसमिति में एक सदस्य का मनोनययन तहसील कार्यकारी मण्डल के सदस्यों में से करना।
13) जिला कार्यसमिति में आवश्यक होने पर तहसीलवार सीटों की संख्या का निर्धारण उचित प्रतिनिधित्व के आधार पर करना।

ग) dk;Zlfefr dh cSBdsa&

जिला कार्यसमिति की वर्ष में कम से कम तीन बैठके अवश्य होगी। यथा सम्भव इन बैठकों का आयोजन विभिन्न तहसीलों में किया जावेगा।

12- d½ inkf/kdkjh

पदाधिकारियों का चुनाव जिला कार्यकारी मण्डल के सदस्यों में से ही कार्यकारी मण्डल द्वारा होगा। कोई भी पदाधिकारी एक पद पर लगातार दो कार्यकाल से अधिक समय तक नहीं रहेगा।

अध्यक्ष–एक,	उपाध्यक्ष–दो,	मन्त्री–एक,
संयुक्तमन्त्री–दो,	अर्थमन्त्री–एक,	संगठनमन्त्री – एक

[k½ inkf/kdkfj;ksa dh vgrk,a fuEukuqlkj gksxh&

v½ v/;{k– 1–न्युनतम आयु 35 वर्ष
2–पूर्व के किन्ही 2 सत्रों में जिला कार्यकारी मण्डल का सदस्य रहा हो।
3–पूर्व के किसी एक सत्र की बैठकों में कम से कम 60 प्रतिशत उपस्थिति रही हो।

c½ eU=h& 1–न्युनतम आयु 35 वर्ष
2–पूर्व के किसी एक सत्र में जिला कार्यकारी मण्डल का सदस्य रहा हो
3–पूर्व के 1 सत्र की बैठकों में कम से कम 60 प्रतिशत उपस्थिति रही हो।
नोट –प्रथम बार जिला संगठनके गठन पर वहाँ उपरोक्त अहर्ताएं लागु नहीं होगी।

x½ inkf/kdkfj;ksa ds mRrjnkf;Ro ,oa vf/kdkj &

v½ v/;{k

1. जिला संगठनकी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
2. विभिन्न पदाधिकारियों तथा सदस्यों को कार्य वितरण करेंगे तथा जिला संगठनके कार्य संचालन मे उत्तरदायी होंगे। सभा को गतिशील रखने में तथा उद्धेश्य पुर्ति हेतु प्रयास करेंगे।
3. जिला संगठन का संगठन सुदृढ़ करने हेतु भ्रमण करेंगे। आवश्यकतानुसार जिला सम्मेलन का आयोजन करेंगे।
4. तहसील सभाओ को मार्गदर्शन करेंगे तथा तहसील की बैठकों में जिला प्रतिनिधि को भेजेंगे।

5. विभिन्न प्रकोष्ठ प्रभारियों की नियुक्ति व उनके माध्यम से संगठन के उद्धेश्यों की प्राप्ति के प्रयास करेंगे

vk½ mik/;{k & अध्यक्ष की अनुपस्थिती में संगठनात्मक वरिष्ठता के आधार पर बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। सभा के कार्य संचालन में अध्यक्ष को सहयोग देंगे। सौंपे गए कार्य पूरा कराने की जिम्मेदारी निभायेंगे।

b½ eU=h & जिला संगठन कार्यालय का संचालन करेंगे। कार्यकारी मण्डल तथा कार्यसमिति की बैठकों की कार्यवाही रखेंगे। जिला संगठन सम्बन्धी कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। कार्यकारी मण्डल तथा कार्यसमिति के निर्णयानुसार सभा का कार्य करेंगे। स्वीकृत बजट के अनुसार खर्च करेंगे। अन्य पदाधिकारियों के कार्यों में सहयोग कर कार्य सम्पन्न कराने की व्यवस्था करेंगे महासभा तथा प्रदेश संगठन के द्वारा निर्देशित कार्यो को सम्पन्न कराने की व्यवस्था करेंगे। तहसील संगठनो से सम्पर्क कर उनकी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करेगें । ग्राम एवम् तहसील स्तर से सूचनाएँ एकत्रित करेगें तथा तहसील संगठनो की योजना एवं कार्यो का मार्गदर्शन एवं मूल्यांकन करेंगे। जिला संगठन की वार्षिक एवं सत्रकालीन योजना बना उसे जिला कार्यसमिति एवं कार्यकारी मण्डल से अनुमोदित करायेंगे। प्रदेश संगठन से समबद्धता की कार्यवाही निष्पादित करेंगे। जिला अध्यक्ष की अनुमति से बैठके बुलायेंगे।

b½ l;qdreU=h & संगठन को सुदृढ़ करने में मन्त्री को सहयोग देंगे। कार्य विभाजन द्वारा सौंपे गए कार्य को सम्पन्न करेंगे।

m½ vFkZeU=h&संगठन के आय–व्यय का हिसाब रखेंगे। शुल्क, चन्दा एवं सहयोग राशि प्राप्त करेंगे। मन्त्री के सहयोग से बजट बनायेंगे, स्वीकृत बजट के अनुसार मन्त्री के अनुमोदन से खर्च करेंगे एवं हिसाब अंकेक्षित करायेंगे। कार्यकारी मण्डल की वर्ष समप्ति के पश्चात होने वाली प्रथम बैठक में आय व्यय लेखों का अनुमोदन करायेंगे।

Å½ lxBu eU=h &श्रृंखलाबद्ध संगठन को सक्रिय रखेंगे। भ्रमण, प्रचार आदि द्वारा संगठन को सृदृढ बनायेंगे। अध्यक्ष एवं कार्यसमिति के निर्देशानुसार विविध संगठनात्मक कार्य सम्पादित करेंगे।

13- 1- x.kifr&

अ) कार्यकारी मण्डल सदस्यों की बैठकों की गणपूर्ति हेतु 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी । गणपूर्ति के अभाव मे स्थगित बैठक नियम समय के 1/2 घन्टे बाद हो सकेगी । उस बैठक में विषय पत्रिका में जो विषय रखे गए है उन पर ही निर्णय लिये जायेगें। कार्यकारी मण्डल की विषय पत्रिका 15 दिन पहले डाक, कोरियर, ईमेल अथवा अन्य साधन द्वारा भेजना आवश्यक होगा।

आ) कार्यसमिति की विषय पत्रिका डाक, कोरियर, ईमेल द्वारा 10 दिन पहले भेजना आवश्यक होगा। कार्यसमिति की बैठकों की गणपूर्ति हेतु 1/3 सदस्यों की अपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें तीन पदाधिकारी आवश्यक होंगे।

2- erx.kuk&चुनाव के अतिरिक्त अन्य विषयों में समान मत प्राप्त होने पर अध्यक्ष को एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार रहेगा। सभी विषयों में हाथ उठा कर मतदान होगा। निर्णय बहुमत से होगा। कार्यकारी मण्डल द्वारा पदाधिकारियों के चुनावों के वक्त चुनाव अधिकारी मत पत्रो द्वारा चुनाव करा सकेंगे। चुनाव में समान मत प्राप्त होने पर चिट्ठी निकाल कर निर्णय लिया जायेगा।

14- dk;dky&सामान्यतः कार्यकारी मण्डल, कार्यसमिति तथा पदाधिकारियों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। यह कार्यकाल साधारणतः अ. भा. माहेश्वरी महासभा के सत्र कार्यकाल से संलग्न होगा। जिला संगठनतथा तहसील संगठन के चुनाव प्रदेश सभा द्वारा निर्देशित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव समिति द्वारा अधिघोषित एवं सम्पन्न होगा।

ukV – विशेष परिस्थिति में कार्यसमिति जिला संगठनका कार्यकाल एव वर्ष तक बढा सकेगी इसके लिए प्रादेशिक सभा की सहमति लेना आवश्यक होगा।

15- 1- y[kk o"k&जिला संगठन का लेखा वर्ष 1 अप्रेल से 31 मार्च होगा।

2- fty lxBudk dk"k ,oa fglkc &

अ) जिला संगठन अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए शुल्क दान विज्ञापन स्मारिका अनुदान आदि अनेकविध साधनों से कोष एकत्रित कर सकेगी।

आ) कार्यसमिति आवश्यकतानुसार स्थाई निधि का निर्माण कर सकेगी।

इ) जिला संगठन के नाम से बैंक में खाता खोला जायेगा जिस पर सभा के निम्न पदाधिकारियों को हस्ताक्षर करने के अधिकर होंगे। 1) अध्यक्ष अथवा मन्त्री 2) अर्थमन्त्री इन्हीं दो पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से खाता संचालित किया जावेगा। बैंक से समबन्धित पत्र व्यवहार का कार्य मन्त्री करेंगें।

ई) हिसाब परीक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था का निर्धारण कार्यसमिति करेगी।

उ) कार्यसमिति एवं कार्यकारी मण्डल की सभा में गतवर्ष का हिसाब लेखा वर्ष की समप्ति के 3 माह के भीतर प्रस्तुत कर अनुमोदित करना होगा व आगामी वर्ष का बजट प्रस्तुत करना होगा।

16- fo/kku l'kk/ku& जिला संगठन के विधान संशोधन का प्रस्ताव कार्यसमिति में पेश होगा, उसमें अपस्थित सदस्यों के 3/4 का समर्थन आवश्यक होगा। इस प्रस्ताव को जिला कार्यकारी मण्डल में पेश किया जावेगा। विधान संशोधन के लिए कार्यकारी मण्डल के उपस्थित सदस्यों के 3/4 मतों की आवश्यक्ता होगी। उपरोक्त बैठक में सम्पूर्ण कार्यकारी मण्डल के 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। विशेष सुचना 20 दिन पूर्व देकर इस प्रकार की बैठक बुलाई जायेगी, जिसमें प्रस्तावित संशोधन का प्रारूप डाक से प्रषित करना होगा। परिवर्तित विधान प्रदेश संगठन की कार्यसमिति द्वारा अनुमोदित होने पर ही प्रभावी हो सकेगा। किसी भी परिस्थिति में मॉडल विधान की मुल भावना में कोई परिवर्तन नही किया जावेगा।

17- vkpkj lfgrk& महासभा एवं प्रदेश संगठन द्वारा स्वीकृत आचार संहिता का प्रत्येक सदस्य एवं संस्था पालन करेगी। जिला संगठन अपनी पूरक आचार संहिता कार्यकारी मण्डल की बैठक में प्रस्तुत कर स्वीकृत कर सकती है। स्वीकृत की गई आचार संहिता का पालन करना हर सदस्य तथा पदाधिकरी के लिए अनिवार्य होगा।

18- fookn dk fuiVkjk&स्थानीय तहसील संगठन तथा जिला संगठन से सम्बन्धित विवाद जिला कार्यसमिति द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय विवाद निवारण समिति द्वारा निपटाये जायेंगे जिसकी प्रथम अपील जिला कार्यसमिति में तथा उस निर्णय की अपील प्रादेशिक कार्यसमिति को की जा सकेगी। प्रादेशिक कार्य समिति अथवा उसके द्वारा नियुक्त वाद विवाद निवारण समिति उस वाद का निर्णय करेगी। यदि कोई पक्ष उस निर्णय से असन्तुष्ट है तो उस विवाद की अपील प्रादेशिक कार्यकारी मण्डल को करेगा तथा प्रादेशिक कार्यकारी मण्डल का निर्णय अन्तिमरूप से मान्य होगा। विशेष परिस्थिति में ही जिला संगठनसे सम्बन्धित विवाद की महासभा को अपील की जा सकेगी। विवाद अनिवार्यतः संगठन के अन्तर्गत ही निर्णीत होंगे। न्यायालय में जाना अनुशासनहीनता माना जावेगा।

19- ¼1½ inefä–निम्न कारणों से व्यक्ति की सदस्यता तथा पदधारिता समाप्त हो सकेगी।

1–पागलपन से, 2–त्यागपत्र मंजूरी से, 3–मृत्यु से

4–पदेन सदस्य के पद का कार्यकाल समाप्त होने पर,

5–न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित होने के उपरान्त कार्यकारी मण्डल द्वारा पदमुक्ति का निर्णय होने पर,

6–कार्यकारी मण्डल/कार्यसमिति की तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर।

¼2½ fjä in dh iwfr&

(अ) सत्र के मध्य में कार्यसमिति अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य रिक्त पद की पूर्ति कर सकेगी।

(आ) अध्यक्ष पद यदि रिक्त हो तो उस पद की पूर्ति चुनाव विधि से कार्यकारी मण्डल द्वारा की जावेगी जो शेष अवधि के लिए होगी।

20- तहसील संगठन/शहरी क्षेत्रीय तहसील संगठन के चुनाव जिला संगठनके चुनावों से एक माह पूर्व पूरे कराने होंगे। इसी तरह जिला संगठनके चुनाव प्रदेश सभा क चुनावों के एक माह पूर्व कराने आवश्यक होंगे।

21- किसी कारण चुनाव समय पर नहीं कराने पर संबद्धता प्रदान करने वाली सभा हस्तक्षेप कर चुनाव सम्पादित करा सकेगी।

22- dkuwuh dk;okgh& जिला संगठन के कोष, सम्पत्ति अथवा हिसाब आदि के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही मन्त्री द्वारा उनके नाम से की जायेगी और इस सम्बन्ध में उन्हें योग्य अधिकार प्राप्त होंगे।

23- Hkk"kk& संगठन की कार्यवाही तथा कामकाज साधारणतः हिन्दी भाषा में होगा। कार्यवृत हिन्दी भाषा में देवनागरी लिपि में लिखा जायेगा।

24- foltu& जिला संगठन के विसर्जन का प्रस्ताव यदि जिला कार्यकारी मण्डल में प्राप्त हुआ और पारित हुआ तो अन्यत्र कार्यकारी मण्डल की नियमानुसार बैठक बुलाई जायेगी। सभा उपस्थित सदस्यों के 90 प्रतिशत सदस्यों द्वारा विसर्जन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तो क्रियान्वित किया जायेगा। विसर्जन की प्रक्रिया में जिला संगठन की समस्त सम्पत्ति, लेख, अभिलेख, प्रपत्र, कागजात आदि का हस्तान्तरण प्रादेशिक सभा या उसके द्वारा निर्देशित संस्था को किया जायेगा।